न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03 / 2023

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री अनूप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राणी भटियाणी जी जोधपुर स्वीट्स, चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री दलवीर सिंह अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —17.03.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.01.2023 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक एवं कार्यालय स्टाफ के साथ गैस सिलेण्डरों की अवैध रिफिलिंग व कालाबाजारी रोकथाम अभियान के दौरान चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित राणी भटियाणी जी जोधपुर स्वीट्स पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में अनूप सिंह उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। दुकान में तलाशी के दौरान उपयोग में लिये जा रहे 5 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 4 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक रूप में उपयोग करना स्पष्ट होने पर उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त किया गया। जब्त सामान श्री अरूण, कुलडिया भारत गैस एजेन्सी नई धान मण्डी हनुमानगढ़ जंक्शन को सुपुर्द किया गया। श्री अनूप सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह राणी भटियाणी जी जोधपुर स्वीट्स चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस अधिनियम 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 5 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने तथा जब्त सिलेण्डर प्रकृत्या क्षयशील पदार्थ होने के कारण अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि 5 घरेलू गैस सिलेण्डर तलाशी के दौरान उपयोग में लिये जा रहे थे, कतई गलत एवं निराधार है। क्योंकि यह गैस सिलैण्डर रिफिल करवाने हेतु राणी भटियाणी जी जोधपुर स्वीटस् पर रखे हुए थे। मै० कुलड़िया भारत गैस हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ता अरूण से वार्ता करने पर उसने बताया कि आप घरेलू गैस सिलैण्डर रिफिल करवाने हेतु राणी भटियाणी जी जोधपुर स्वीट्स पर लाकर रख लेवें, मैं वहां आकर नये सिलैण्डर आपको देकर पुराने प्राप्त कर लूंगा एवं इसी आशवासन के आधार पर उक्त पांच गैस सिलैण्डर रखे हुए थे लेकिन जिला रसद

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़ ने बिना किसी कारण के घरेलू गैस सिलैण्डर को उपयोग में लेना गलत रूप से दर्शाया है। वरवक्त निरीक्षण फर्द जब्ती में वर्णित सिलेण्डर किसी भी चुल्हे पर उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे चूंकि जिला रसद अधिकारी को अपने स्टाफ सहित गैस सिलेण्डर जब्त करने थ। फर्द अभिग्रहण में भौतिक सत्यापन एवं शुद्ध गैस का भार गलत अंकित किया गया है। सिलेण्डर सं. 228170 में अभिग्रहण की कार्यवाही में शुद्ध गैस का भार 0 अंकित किया है तो ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक का यह अभिकथन कि उक्त सिलेण्डर उपयोग में लिया जा रहा था, अपने आप में ही मिथ्या साबित होता है एवं शेष सिलेण्डरों में 8 किलो, 6.7 किलो, 10 किलो, 0.3 किलो गलत दर्शाया गया है। हस्तगत प्रकरण में गवाहान् के कोई बयान लेखबद्ध नहीं किये गये। दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार फर्द जप्ती एवं फर्द अभिग्रहण की समस्त कार्यावाही विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर फर्द मौका एवं जप्ती में वर्णित भारत गैस कम्पनी के गैस सिलैण्डर संख्या–0704008 व 435385 एवं 822349 एवं 487633 व 228170, कुल 5 घरेलू गैस सिलैण्डर प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी से मौके पर भारत गैस कम्पनी के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात किये जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय मौके पर भारत गैस कम्पनी के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 (1) (ग) का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा भारत गैस कम्पनी के 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (गैस की मात्रा 17.8 किग्रा) को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही/-

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर ... हनुमानगढ़